

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1611

मध्यप्रदेश वित्त निगम

परिशिष्ट

ऋण की शर्तें एवं जानकारी

1. निगम द्वारा औद्योगिक इकाईयों को आसान किशतों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
2. ऋण भुगतान की समयावधि सामान्यतः 8 वर्ष रखी जाती है।
3. 1 से 2 वर्ष की मोरटोरियम अवधि होती है, इस अवधि में मूलधन का भुगतान नहीं करना होता है।
4. उक्त अवधि पश्चात् मूलधन का भुगतान 24 से 28 त्रैमासिक किशतों में किया जाता है।

  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
वित्त विभाग (स्थापना शाखा)